शिवाजी विश्वविद्यालय
हिंदी विभाग
कोल्हापुर

संस्तुति

मैं संस्तुति करता हूँ कि सुश्री संगीता व्यंकटेश महाजन का "कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूप, समस्याएँ एवं समाधान" लघु शोध-प्रबंध परीक्षणार्थ अग्रेषित किया जाए।

शोध-निर्देशक

डॉ. अर्जुन चव्हाण
प्रपाठक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर-४१६००४.

कोल्हापुर
दि. 21 जून, २००२

डा. अर्जुन गणपति चव्हाण
प्रपाठक एवं अध्यक्ष,हिंदी विभाग,
शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर-४१६००४.

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री संगीता व्यंकटेश महाजन ने मेरे निर्देशन में "कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूप, समस्याएँ एवं समाधान" लघु शोध-प्रबंध, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर की विद्यापति(एम.फिल ,हिंदी)उपाधि के लिए लिखा है । यह उनकी मौलिक रचना है। यह कार्य पूर्वयोजनानुसार संपादन हुआ है और उसमें शोध-छात्रा ने मेरे सुझावों का पूर्णतः पालन किया है । जो तथ्य लघु शोध-प्रबंध में प्रस्तुत किए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं । शोध-छात्रा के कार्य से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इस लघु शोध-प्रबंध को आद्योपांत पढ़कर ही मैं इसे परीक्षणार्थ अग्रेषित करने हेतु अनुमति प्रदान करता हूँ।

शोध-निर्देशक

डा. अर्जुन चव्हाण
प्रपाठक एवं अध्यक्ष,हिंदी विभाग,
शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर-४१६००४.

कोल्हापुर
दि.21 जून, २००२

प्रख्यापन

"कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूप, समस्याएँ एवं समाधान" प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध मेरी मौलिक रचना है, जो विद्यापति (हिंदी) उपाधि के लिए प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत रचना इसके पूर्व शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर की उपाधि के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।

शोध-छात्रा

(सुश्री संगीता व्यंकटेश महाजन)

कोल्हापुर

दि. २८जून, २००२

प्राक्कथन

प्राक्कथन

विषय का प्रेरक बिंदु :

यह त्रिकालाबाधित सत्य है कि प्राणवान अभिव्यक्ति के लिए स्व-भाषा ही सबसे अधिक सशक्त माध्यम है । यह भी सत्य है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है तथा हिंदी इस देश की सांस्कृतिक, कलात्मक तथा आध्यात्मिक धरोहर से परिपूर्ण भाषा होने के साथ-साथ अधिकांश जनता की भाषा है। वास्तव में भाषा सुविधा की वस्तु होते हुए भी वह कला, संस्कृति तथा धर्म के माध्यमों द्वारा मनुष्य-जीवन से गहराई तक जुड़ी होने के कारण एक प्रजाति के अस्तित्व का बोधचिह्न बन जाती है। हमारा अस्तित्व-बोध हिंदी से ही हो सकता है, अंग्रेजी से कदापि नहीं। अंग्रेजी कहते ही विश्व को ब्रिटन, अमरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की याद आएगी। चीनी भाषा चीन की, रूसी भाषा रूस की, जर्मन भाषा जर्मनी की और जापानी भाषा जापान की याद दिलाती है। विश्व में हिंदी भाषा हिंदुस्थान की पहचान है। किंतु कुछ देशवासी इस बात को नहीं मान रहे हैं । राजनीतिज्ञ अपने निजी स्वार्थ के लिए भाषा का प्रश्न खूँटी पर टँगे रहते हैं ।

देश के लिए अंग्रेजी राज जितना शर्मनाक था, उतना ही राजकाज का अंग्रेजी माध्यम भी शर्मनाक है। अंग्रेजी भाषा भारत की सतह को भी नहीं छू सकीं। उसकी जड़े गहराई तक (सामान्यजनों तक) पहुँच नहीं सकती। उसकी छाँव से इस देश की आम जनता लाभान्वित नहीं हो सकती। फिर भी कुछ मुट्ठीभर लोग मिलकर कार्यालयों, न्यायालयों तथा राजनीति में आज भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह भी सत्य है कि आमतौर पर साधारण कर्मचारी(तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी) अंग्रेजी ठीक से नहीं जानते । कोई कबूल करें या न करें, अधिकांश तृतीय श्रेणी के कर्मचारी रोज के अभ्यास से ही अपने टेबुल का काम अंग्रेजी में कर सकते हैं । अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर अर्ध-शतक बीतने के पश्चात भी क्यों शिक्षित, उच्च-शिक्षित लोग आज भी अंग्रेजी भाषा के नतमस्तक गुलाम हैं? यह सच है कि आरंभ में हिंदी में काम करते समय अंग्रेजी की तुलना में अधिक समय लगेगा। किंतु नित्य अभ्यास से क्या असाध्य है ? वैसे भी राजभाषा का कार्यान्वयन करना राष्ट्रीय कर्तव्य है । इसके लिए अधिक परिश्रम करने पडे तो भी कोई बात नहीं। राजभाषा के लिए अधिक समय देना तो दूर ही राजभाषा

का विरोध तथा अपमान करना और खिल्ली उडाना यह मानसिकता हो चली है। इस तरह से तो भाषा की दृष्टि से हम हमेशा अपाहिज ही रहेंगे ।

अंग्रेजी की आवश्यकता हमें किस हद तक और क्यों है ? क्या भारत के घर-घर तक अंग्रेजी पहुँच सकती है ? क्या हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं को पीछे हटाकर अंग्रेजी संपूर्ण देश की भाषा- संपर्क भाषा, जनभाषा तथा राजभाषा बन सकती है ? इस देश को एकसूत्र में पिरो सकती है ? अंग्रेजी हमारे देश की भाषीय तथा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक नहीं बन सकती। भाषा का संबंध कलाओं तथा संस्कृति से भी होता है। अंग्रेजी इन बातों का वहन करने की क्षमता नहीं रखती। अंग्रेजी को राजभाषा घोषित करने से इनपर क्या असर पड़ेगा? क्या इनका; पर्याय से हमारा अस्तित्व अबाधित रह सकेगा? हिंदी को राजभाषा घोषित करके भी अर्ध-शतक बीत गया है । किंतु आज भी राजभाषा के प्रति अन्याय क्यों हो रहा है ? क्या संविधान में राजभाषा के लिए किए गए प्रावधान पर्याप्त हैं ? कौनसी हीनग्रंथि से देशवासी ग्रसित हैं ? आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान के युग में कहीं हम हिंदी की चारोंओर उन्नति करने में असफल तो नहीं रहे ? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों ने एम. ए. करते समय मुझे घेर लिया । तभी मैंने निश्चय किया कि मैं विद्यापति(एम.फिल.) की उपाधि अवश्य हासिल करूँगी और उसके लिए कोई ऐसा ही विषय चुनूँगी कि जिसके अध्ययन से उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर मैं ढूँढ़ सकूँ ।

जब मैं एम.ए. का अध्ययन कर रही थी, तब मुझे कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में काम करने का मौका मिल गया था। कोल्हापुर दूरसंचार का हिंदी अनुभाग तब नियुक्त कर्मचारी विहीन था। दि. २७ नवंबर, १९९८ से दि. ११ अक्तूबर, २००१ तक करीबन तीन साल मैंने हिंदी अनुभाग में काम किया। फलतः मैंने लघु शोध-प्रबंध का विषय "कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूप, समस्याएँ एवं समाधान" लेने का प्रस्ताव श्रद्धेय गुरुवर्य डा. अर्जुन चव्हाण, प्रपाठक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर के सम्मुख रखा। उन्होंने इस विषय को न केवल अनुमति दी बल्कि प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के साथ लीक से हटकर इस विषय पर अनुसंधान करने के लिए निर्देशक के रूप में सहर्ष स्वीकार किया ।

विषय का महत्त्व :

अब तक किसी भी शोध-छात्र ने प्रस्तुत विषय पर काम नहीं किया है। यह एक महत्त्वपूर्ण, अलक्षित, नया तथा चुनौतीपूर्ण विषय है। इसलिए इस विषय पर काम होना आवश्यक था। इस लघु

शोध-प्रबंध में हिंदी-कार्यान्वयन की समस्याओं के समाधान खोजने के प्रयास किए हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन में इसका उपयोग हो सकता है।

सभी कार्यालयों में कामकाज का स्वरूप भले ही भिन्न हो किंतु कामकाज की पद्धति तथा अधिकारी एवं कर्मचारियों की मानसिकता और व्यवहार प्रायः एक-सा होता है। अतः किसी एक कार्यालय में होनेवाले हिंदी-कामकाज के स्वरूप का अध्ययन, विवेचन-विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाएंगे तो वह सभी सरकारी कार्यालयों के लिए कम-अधिक मात्रा में समान रूप से लागू होंगे, इस बात में मुझे कोई शक नहीं था। इसी कारण मैंने उपर्युक्त विषय को ही लघु शोध-प्रबंध का विषय बनाने का संकल्प किया। यह विषय राजभाषा हिंदी की जड़ से गहराई तक जुड़ा है। अधिकांश सरकारी कार्यालयों में हिंदी के राजभाषा पद पर एक प्रश्नचिह्न अंकित किया गया है। भाषा के मामले में भारत जैसा अपनी जातीय अस्मिता से उदासीन देश पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इस विषय का अध्ययन करते समय मैंने कहीं भी राजभाषा-कार्यान्वयन के प्रति कार्मिकों में सहजता, सजगता तथा आवश्यक उत्साह नहीं पाया, यह अत्यंत खेदजनक बात है। चारोंओर उदासीनता, बहानेबाजी तथा मखौल की प्रवृत्ति ही नजर आई। राजभाषा के प्रति स्वाभिमानशून्य मानसिकता तथा अंग्रेजी के प्रति असामान्य आकर्षण को 'विशाल भाषीय दृष्टिकोण' का मधुर नाम दिया जाता है, यह बहुत ही चिंताजनक बात है।

क्या अंग्रेजी 'भारत भाग्य विधाता' बन सकती है ? क्या वह राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रहित तथा राष्ट्रोन्नति का माध्यम बन सकती है ? चीन, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रान्स, पोर्तुगाल आदि अनेक देशों की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। फिर भी अंग्रेजी विश्वभाषा है, यह तर्क कहाँ तक सही है ? ये सारे देश विज्ञान-तंत्रज्ञान से लेकर सारा कामकाज अपनी-अपनी भाषा में कर सकते हैं। किंतु हमारे देश में यह बात असंभव क्यों लग रही है ? इन राष्ट्रों ने अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीयता के तर्क को अपनाकर अपने यहाँ शासन की केंद्रीय भाषा अंग्रेजी क्यों नहीं बनाई ? क्या ये देश सयाने नहीं हैं ? हम आज भी अंग्रेजी को सिर पर उठाए घूम रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ काम करते समय अंग्रेजी का प्रयोग ठीक होगा, किंतु अपनी पहचान गँवाकर अंग्रेजी को देश की मुख्य भाषा बनाने का हठ क्यों ? अंग्रेजी इतनी उपयुक्त और महत्त्वपूर्ण है तो उसे राजभाषा क्यों घोषित नहीं किया गया ? संविधान में लंबी बहस के पश्चात हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसके पीछे अनेक कारण जरूर होंगे। किंतु आज मात्र दिखावे के लिए 'हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का सम्मान करना सीखिए।' का

नारा लगाया जाता है। विश्व में सूरीनाम ही एक ऐसा देश है, जहाँ हिंदी जाने बिना संसद सदस्य बनना असंभव है।

क्यों हम जापान, पड़ोसी चीन तथा हमारा मित्र-राष्ट्र रूस से कुछ नहीं सीख रहे हैं ? कल-परसों का इजरायल । विविध देशों के विविध भाषिक ज्यू वहाँ एकत्रित हुए और अल्पसमय में ही हिब्रू भाषा में अपना कामकाज बखूबी चला रहे हैं । मृतावस्था को प्राप्त हिब्रू भाषा को पुनः उर्जितावस्था प्राप्त हो गई और हमारी उर्जित तथा अधिकांश जनता की भाषा अविकसित क्यों लग रही है ? क्या उच्च-शिक्षा हमारे स्वाभिमान को नहीं ललकारती ? यदि श्रीलंका एक वर्ष में ही सिंहली को राजभाषा बना सकता है, तो हिंदी पचास वर्ष में भी राजकाज में क्यों प्रयुक्त नहीं हो सकती ? इसके पीछे एक ही कारण है, वह है-शासन, प्रशासन तथा सरकारी कर्मचारियों की भाषा के प्रति अनास्था, उखड़ापन तथा उदासीनता। हमारे बहुभाषीय देश के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी को दूसरा कोई पर्याय नहीं है ।

शोध विषय का स्वरूप एवं व्याप्ति :

संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित करके उसके कार्यान्वयन के लिए अनेक नियम, अधिनियम बनाने के पश्चात भी राजभाषा-कार्यान्वयन की धज्जियाँ उड़ी नजर आती हैं। इसके क्या कारण हैं ? इन नियमों, अधिनियमों में कितने हिंदी-कार्यान्वयन के लिए सचमुच उपयुक्त हैं तथा कितने मात्र दिखावे के लिए हैं ? शोध-विषय का अध्ययन करते समय राजभाषा, उसकी परिभाषा, उसका ऐतिहासिक महत्त्व, उसके लिए किए गए वैधानिक प्रावधान तथा उनमें स्थित पाखंड, सरकारी नीतियाँ एवं उनमें स्थित खोखलापन, राजभाषा के प्रति विरोध तथा उदासीनता, राजभाषा अनुभागों की दयनीयता, राजभाषा-कर्मचारियों की हिंदी-कार्यान्वयन के प्रति अनास्था आदि बातों को ध्यान में रखते हुए शोध-विषय को मैंने निम्नांकित पाँच अध्यायों में विभाजित किया-

प्रथम अध्याय : राजभाषा हिंदी : वैधानिक प्रावधान का विवेचन

इस अध्याय में भारतीय परिवेश में हिंदी के विविध रूप, राजभाषा की संकल्पना, राजभाषा पद के लिए हिंदी का संघर्ष, हिंदी का राजभाषा के रूप में स्वीकार : कारण और ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, भारतीय संविधान में हिंदी के लिए प्रावधान : अनुच्छेद ३४३ से ३५१, राजभाषा विषयक अधिनियमों में संशोधन आदि बातों का विवेचन हैं । अध्याय के अंत में प्राप्त निष्कर्ष दर्ज हैं।

द्वितीय अध्याय : कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग : स्वरूपगत विवेचन

इस अध्याय में कोल्हापुर दूरसंचार का ऐतिहासिक परिपार्श्व, हिंदी अनुभाग का प्रारंभ, हिंदी पदों की संख्या और नियुक्तियाँ, राजभाषा हिंदी के प्रयोग का स्वरूप आदि का विवेचन प्रस्तुत है । अध्याय के अंत में प्राप्त निष्कर्ष दर्ज हैं ।

तृतीय अध्याय : हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याएँ

इस अध्याय में अधिकारी एवं कर्मचारियों की हिंदी विरोधी मानसिकता, वैधानिक प्रावधान में स्थित विसंगतियाँ, तकनीकी समस्याएँ, सरकारी नीतियों में स्थित खोखलापन, हिंदी अनुभाग में नियुक्तियों के कारण आनेवाली समस्याएँ, अन्य भाषाओं के शब्द स्वीकारने की झिझक, हिंदी-पदों पर नियुक्ति के पत्र भी अंग्रेजी में-घोर विसंगति, हिंदी-कामकाज में निरंतरता का अभाव, हिंदी के नाम पर करोड़ों रुपयों का व्यय और उसके परिणाम पर प्रश्नचिह्न, हिंदी अनुभाग-उपेक्षित अनुभाग, हिंदी-कार्यान्वयन का निरीक्षण-एक दिखावा, स्थानीय भाषा का प्रभाव तथा प्रचलन, दूरसंचार का निगमीकरण तथा निजीकरण आदि का विवेचन प्रस्तुत है । अध्याय के अंत में प्राप्त निष्कर्ष दर्ज हैं ।

चतुर्थ अध्याय : हिंदी-प्रयोग की समस्याओं के समाधान

इस अध्याय के अंतर्गत राष्ट्रभाषाभिमान जागृति, वैधानिक प्रावधानों में संशोधन, राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियमों को ठोस बनाना, शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन, तकनीकी समस्याओं का समाधान, हिंदी की आदत डालने के प्रयास, स्वयंप्रेरणा से कार्यारंभ, अंग्रेजी शब्दों का परित्याग, हिंदी-पत्राचार बढ़ाने के प्रयास, प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के लिए हिंदी-कामकाज अनिवार्य किया जाए, हिंदीकरण के फायदों से अवगत किया जाए, सतर्कता न बरतने पर होनेवाली स्थिति, निरीक्षण जोश, उत्साह तथा सत्यान्वेषण के साथ हो, हिंदी अनुभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नीतियों का अनुपालन न करने पर दंडविधान आदि बातों का विवेचन प्रस्तुत हैं । अध्याय के अंत में प्राप्त निष्कर्ष दर्ज हैं ।

पंचम अध्याय : हिंदी प्रयोग की संभावनाए

इस अध्याय के अंतर्गत पत्राचार, जो हिंदी में किया जा सकता है, अनुभाग, जिनमें हिंदी में कामकाज किया जा सकता है, हिंदी सॉफ्टवेअर के सहयोग से हिंदी-प्रयोग के संभावित अनुभाग, बैठकें, जिनका वार्तालाप एवं वृत्तांत-लेखन हिंदी में किया जा सकता है आदि का विवेचन प्रस्तुत है। अध्याय के अंत में प्राप्त निष्कर्ष दर्ज हैं ।

उपसंहार :

समग्र अध्यायों के विवेचन के उपरांत उपसंहार प्रस्तुत किया है। इसमें सभी अध्यायों के प्राप्त निष्कर्ष दर्ज किए हैं। ये सभी निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ रूप से एवं वैज्ञानिक पद्धति से निकाले गए हैं। तत्पश्चात पाँच परिशिष्ट दिए हैं, जो इस शोध-प्रबंध को संपन्न करने के लिए और शोध-विषय के निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक हुए हैं। पाँचवें परिशिष्ट में दूरसंचार के पारिभाषिक(तकनीकी) शब्दों के शोधार्थी द्वारा बनाए हिंदी पर्याय समाविष्ट हैं। अंत में संदर्भ ग्रंथ-सूची संलग्न है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अनुसंधान कार्य से सरकारी कार्यालयों में होनेवाले हिंदी-कार्यान्वयन के सही स्वरूप का उद्घाटन हो जाएगा। आशा रखती हूँ कि इस अनुसंधान कार्य से उजागर समस्याओं तथा उनके समाधान को सूचित करने से भविष्य में हिंदी-कार्यान्वयन सुकर होगा।

शोध-प्रबंध की मौलिकता :

१. कोल्हापुर दूरसंचार के राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति को लेकर लिखा गया यह पहला लघु शोध-प्रबंध है।
२. प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध में कोल्हापुर दूरसंचार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर इसमें विस्तार से विवेचन किया गया है। हिंदी अनुसंधान क्षेत्र में यह पहला प्रयास है।
३. कोल्हापुर दूरसंचार में हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं पर इसमें सूक्ष्मता से प्रकाश डाला गया है। यह कार्य इस दृष्टि से नया और पहला प्रयास है।

ऋणनिर्देश :

इस शोध-कार्य को सफलता से संपन्न करने में मुझे जिन-जिन महानुभावों से सहायता मिली हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मैं अपना दायित्व समझती हूँ।

सर्वप्रथम मैं अपने निर्देशक श्रद्धेय गुरुवर्य डा. अर्जुन चव्हाण, प्रपाठक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं जबसे इस शोध-कार्य से जुड गई हूँ, तबसे आपने मेरे आगे बढते कदमों को गति देकर अपने सुयोग्य निर्देशन में मुझसे यह कार्य पूरा करवाया। आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से लाभान्वित मैं आपकी आजन्म ऋणि रहूँगी।

मेरी हर संभव सहायता करनेवाले मेरे कार्यालय के प्रधान आदरणीय श्री. आर. सी.कोली, महाप्रबंधक, कोल्हापुर दूरसंचार तथा माननीय श्री. एन.एस.गुत्ते, उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र), कोल्हापुर दूरसंचार की मैं उपकृत हूँ। श्री. बी.एस. नकवाल, सहायक निदेशक(राजभाषा) नासिक तथा भूतपूर्व हिंदी अनुवादक, कोल्हापुर दूरसंचार, श्री. पवनसिंह कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कोल्हापुर दूरसंचार तथा मेरा विषय मेरे कार्यालय से संबंधित होने के कारण कोल्हापुर दूरसंचार के मेरी सहायता करनेवाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रति मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। कोल्हापुर दूरसंचार का ऐतिहासिक परिपार्श्व लिखते समय दूरसंचार के कुछ सेवानिवृत्त दूरध्वनि प्रचालक कर्मचारियों ने अपने स्मृति-संपुट से दूरसंचार विभाग के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी, जो अन्य कहीं से उपलब्ध नहीं हो सकी। मैं आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूँ ?

मेरी सहायक, हितचिंतक आदरणीय प्राध्यापिका रजनी भागवत, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, छत्रपति शाहू महाविद्यालय, कोल्हापुर की भी मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे परिवारजन मेरी माँ श्रीमती विजया महाजन तथा मेरी बहनों के सहयोग एवं प्रोत्साहन के कारण ही मैंने इस शोध-कार्य को संपन्न करने में सफलता प्राप्त की। जीजाजी श्री. शरद दातार, मिरज ने न केवल अपने संगणक पर इस प्रबंध को टंकित करने की मुझे अनुमति देकर शोध-प्रबंध को स्वयं टंकित करने की मेरी इच्छा पूरी की, बल्कि प्रबंध को सुशोभित करके उसकी मुद्रित प्रतियाँ निकालकर देने का कार्य भी आपने उत्साह एवं संपूर्ण मनोयोग से किया। मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ।

अंत में प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध की पूर्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करनेवाले तथा प्रोत्साहन देनेवाले हितचिंतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ तथा उन लेखकों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके ग्रंथों से मैं लाभान्वित हुई हूँ और इस लघु शोध-प्रबंध को विनम्रता से विद्वानों के सामने परीक्षणार्थ प्रस्तुत करती हूँ।

शोध-छात्रा

(संगीता व्यंकटेश महाजन)

कोल्हापुर

दि. २८ जून, २००२.

***